



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238984
CG-DL-E-21092022-238984

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4201]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944

No. 4201]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का.आ. 4385(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लेखित जिलों, तालुको, पुलिस थानों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखंड के संबंध में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम सक्षम पदाधिकारी कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है। मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 217 (डिज़ाइन कि.मी. 47.075 से कि.मी.77.055) पर भूमि का अर्जन किया जाना है।

अनुसूची

मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 217 (डिज़ाइन कि.मी. 47.075 से कि.मी. 77.055) पर भूमि का अर्जन किया जाना है ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर (रेवन्यू)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH217 के कि.मी. 47.075 से 77.055 तक	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	रोंगराम	1 एनोग्रे
						2 डोलोंगग्रे
						3 रोंगडंगले
						4 चिओग्रे
						5 बावेग्रे
						6 रोंगबाग्रे
						7 समिंग्रे
						8 वारिबोग्रे
						9 अगुराग्रे
						10 दिगरंगग्रे
						11 जेन्द्रग्रे
						12 अल्लाग्रे
						13 रोंगचिग्रे
						14 नेंगकलग्रे
						15 बोलबोकग्रे
						16 आसनंगग्रे
						17 वारिसेपग्रे
						18 चिबरा अगाल

[फा. सं. TVG.40/2019/NH-217/81 dated 02.09.2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

S.O. 4385(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, taluk, police station and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (Widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No. 217 Km. 47.075 to Km. 77.055 in the State of Meghalaya.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.217 Package III (Design Chainage Km. 47.075 to Km. 77.055) in the State of Meghalaya.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Additional Deputy Commissioner (Revenue)	47.075KM To 77.055KM	MEGHALAYA	West Garo Hills	Rongram	1	Anogre
						2	Dollonggre
						3	Rongdenggre
						4	Chiokgre
						5	Bawegre
						6	Rongbakgre
						7	Samingre
						8	Waribokgre
						9	Aguragre
						10	Digranggre
						11	Jendragre
						12	Allagre
						13	Rongchigre
						14	Nengkalgre
						15	Bolbokgre
						16	Asananggre
						17	Warisepgre
						18	Chibra Agal

[F. No. TVG.40/2019/NH-217/81 dated 02.09.2022]

RAJESH GUPTA, Director